National Seeds Corporation Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)
Plot No. 388,Phase IX Indst. Area- Mohali Pin 160062Regional Office Mohali-Chandigarh
Phone No.0172-2214388/2215388 Fax 0172-2213388

No.1 (11) Admn/NSC/CH/13-14 Dated 14-3-14

SHORT TENDER NOTICE

` **Sealed tender are invited from reputed Labour contractors for the year 2014-15 and 2015-16 towards attending Seed Processing work at our Processing Plants Bhatinda The tender documents along with separate terms and conditions are obtainable from above office and offices located at Jalandhar (0181-2602162) Bhatinda(0164-2280346)Hissar(01662-292143)and Karnal(0184-2272127) on payment of Rs. 500/-per set. Tender documents can also be downloaded from NSCs website www.indiaseeds.com and www.eprocure.gov.in. In such cases the tenderer has to deposit Rs. 500/- along with the filled in tender form. Labour Contractors must possess their Labour Contractor License, ESI, EPF Code Nos.etc.Sealed tender duly filled in will be received at NSC Mohali (Chandigarh) up to 2.00 P.M. on 01-04-2014 which will be opened at 2.30 P.M. on same date. In the presence of tenderers or their authorized representative, if any.**

Regional Manager

बीज प्रक्रिया संयत्रों का श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये शर्ते एंव विस्तृत विवरण र्वा 2014-15 तथा र्वा 2015 - 16

1** श्रमिक* ठेकेदार का अपना श्रमिक कार्य ***लाईसंस ई0 एस0 आई/ ई पी एफ कोड न0 होना आवश्यक है !जिसका पूर्ण विवरण संलग्न करना होगा !

2 सफल निविदादाता को कार्य करने से पहले रुपये 20000/. (बीस हजार जमानत राशि के रुप में जमा करने होंगे तथा बीस रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक अनुबंध करना होगा । निविदादाता को निविदा देते समय रुपये 10000/.(दस हजार रुपये)का डिमांड ड्रापट निविदा के साथ निगम के नाम चन्डीगढ़ को सलंग्न करना होगा धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3 खरीफ /रबी जायद संसाधन के दोरान ठेकेदार को बीज संसाध्न केन्द्र/गोदामों में प्रति सप्ताह स्प्रे प्रतिदिन संसाधन केन्द्र/ मशीनो तथा गोदामों की सफाई करनी होगी । प्लान्ट इन्चार्ज / प्रक्षेत्र प्रबन्धक के सत्यापन के बाद ही ठेकेदार के बिलों का भुगतान होगा ।

4 ठेकेदार को भुगतान बीज की अन्तिम रुप से पैक की गई मात्रा पर ही किया जायेगा न कि अप्रक्रियावृत बीज (Raw Seed) मात्रा पर ।

5 ऐंसी स्थिति में जहां ठेकेदार को अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग व पैकिंग के लिये भुगतान किया जायेगा उस स्थिति में भुगतान उस मात्रा पर देय होगा जो संसाद्यन के बाद 35/कि0ग्रा0 पैकिगं में प्राप्त होगी !

6 ठेकेदार को वह सभी अभिलेख (Record) रखने होगें जो फैक्टरी एक्ट 1948 मजदूर अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक हैं । इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी न कि निगम की । ठेकेदार द्वारा लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पत्ता,पिता का नाम, आयु इत्यादि अपने हाजरी रजिस्टर में रखना होगा तथा लगाई गई लेबर की रोज़ हाजरी निगम के अधिकारी/प्लान्ट इंचार्ज से चैक कराना होगा ।

7 निगम के कार्य में लगाये गये मज़दूरो के वेतन सें ई एस आई/ भविय निधि अंशदांन की वसूली करना एंव इस राशि की अन्य अशंदान/ करों को नियमानुसार ई एस आई/ भविय निधि में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । । ऐंसा ना करने पर निगम कर्मचारी व नियोक्ता दोनो की ई एस आई/ भविय निधी अशंदान की कटौती ठेकेदार के बिलों के भुगतान से कर ली जायेगी। सामुहिक बीमा योजना के अधीन अग्रिम राशि का भुगतान प्रति लेबर प्रति र्वा प्रशासनिक शुल्क का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार करना होगा ।

समय समय पर आवश्यकतानुसार व निगम के निर्देशनुसार ठेकेदार को बीज के बोरों/ सामान के चटटे लगवाने होंगे । बोरों की गिनती करना, बंडल लगाना/बनाना एंव अन्य पैकिगं युक्त सामान को सुव्यवस्थित करना तथा चटटा लगाना आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगे ।

9 आयकर समय समय पर जो भी लागू होगा उसका भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

10 बीज प्रक्रिया प्रभारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा बिलों की पूर्ण जाचं, आयकर , ई0 एस0आई0, भविय निधि, इ पी एफ इत्यादि की वसूली सुनिश्चित होने/ करने के बाद बिलों का भुगतान रेखाकिंत चैकों के माघ्यम *से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।*

11 धूप से बीजों को उनके न्यूनतम आर्हता *स्तर तक सुखने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी !*

12 बीजों की प्रत्यक्ष पैकिंग के लिये ठेकेदार को अप्रक्रियाकृत (Raw Seed) *बीजों की मशीन तक पहुचाने से ले कर बीजों की अन्तिम पैकिंग 2 किलोग्राम से 40 किलो ग्राम की पैकिंग करना , बीजापूचार करना अथवा* फफुंद नाशक *का पैकिट बना कर बीज के* थैलों *में रखना, टैग लेबलों व थैलों पर सभी वांछनीय जानकारी लिखना , टैग लेबल लगा कर* सिलाई *करना, सील लगाकर व प्लायर से दबाना, प्रत्येक कृाक का फसल किस्तावार/अन्डरसाईज बीज का* एकत्र *करना, बोरों मे डाल कर तुलाई करना, बोरो पर लाट क्रमांक वजन इतयादि लिखना व सिलाई करना दोनो अन्डरसाईज व प्रक्रियाकृत बीजों को कृाकवार लाट वार स्टैक लगाना तथ बीज से खाली हुए सभी बोरों को साफ कर* एंव उल्टा करके, सैग्रीगेट कर *50.50 के बन्डल बना कर निर्देशित स्थान पर रखना इत्यादि । मंद संख्या 4.5 की बीज प्रक्रिया की दरों से अप्रक्रियाकृत बीज* (Raw seed) *को मशीनो पर पहुचाने स्टैक लगाने, छानना* (undersize) *बीज को मशीनों से उठाकर प्रक्रिया संयत्र के बाहर निगम के परिसर में लगाने अथवा किराये पर लिये गये प्रक्रिया संयत्र से 100 फुट पर लगाने की दरें सम्मिलित हैं । इस कार्य का अलग से कोई पैसा नहीं दिया जायेगा ।*

13 अप्रत्यक्ष वाले सभी कार्य जैसां क्रमाक 12 में दर्शाया गया है ठेकेदार को करने होंगे ।

14 ठेकेदार की प्रक्रिया संयत्र पर प्रक्रिया प्रभारी /प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार प्रक्रिया कार्य के लिये प्रयाप्त श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे । कार्य के लिये प्रार्याप्त श्रमिकों की पुर्ति करने में असफल होने की दिशा में निगम का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रचलित दरों पर जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं श्रमिकों को लगातार कार्य करांए एंव लगाये गये मजदूरों की मजदूरी व सर्विस चार्ज /ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जायेगी। संतोाजनक कार्य ना होने पर चेतावनी देकर ठेका निरस्त भी किया जा सकता है साथ में धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है ।

15 जब निगम की प्रक्रिया संयत्र के अलावा बीज को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जो एक ही नगरपालिका में स्थित है पहुचांना है तो बीजों/सामान को लोड करवाने परिवहन करने, उतरवाने स्टैक लगाने हेतु प्रर्याप्त *संख्या में ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। बीज सामान परिवहन के दौरान यदि बीज अथवा सामान खराब हो जाता है या टूट जाता है तो इसके लिये ठेकेदार पुर्ण रुप से जिम्मेदार होगा एंव निगम द्वारा तय की गई सामान की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जाएगी अगर राशि अधिक हो तो इसका भुगतान ठेकेदार को डिमांड ड्राफट द्वारा निगम को करना होगा ।*

16 प्रक्रिया प्रभारी / प्रक्षेत्र प्रबन्धक के निर्देशानुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में बीज/सामान परिवहन के लिये ट्रकों व श्रमिकों की पूर्ति करनी होगी। ऐंसा ना करने पर व असफल होने पर आवश्यकतानुसार निगम ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था कर लेगी एंव इस कार्य में हुये खर्च की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से कर ली जायेगी 1

17 एक ही परिसर से एक गोदाम से बीज का परिवहन एंव अन्य दूसरे सभी कार्य जैसा उपरोक्त कालम क्रंमाक स0 1 एंव 2 *में लागू है की व्यवस्था भी ठेकेदार को ही करनी होगी ।*

18 ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गए श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान प्रतिमाह समय समय पर करना अनिवार्य है अन्यथा ठेकेदार के बिल से श्रमिको की मजदूरी की राशि काट कर दी जायेगी ताकि किसी प्रकार के श्रमिक वाद विवाद से बचा जा सके ।

19 किसी भी प्रकार की आपत्ति विवाद अनुबन्ध की कार्यनवित होने के संबध में अथवा उसके समाधन की स्थिति में उत्पन्न होता है तो यह सोल आरबीट्रेटर को सोंपा जायेगा जो कि निगम का अध्यक्ष एंव प्रबंध् निदेशक या उच्चतम अधिकारी स्वय भी सोल आरबीट्रेटर का कार्य करने में सक्ष्म होगा । इस अनुबंध के अर्न्तगत ठेकेदार को कोई एतराज़ नहीं होगा कि अध्यक्ष या आरबीट्रेटर जैसा कि ऊपर नियुक्त किया गया हे यह वयक्ति है जिसने मामले को डील किया है अपने विचार प्रकट किये है या अपनी विचार भिन्नता व्यक्त की है !

20 उपरोक्त दी गई शर्ते श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रुप से मान्य होगी

टैन्डर फार्म

क्षेत्रीय प्रबन्धक
नेशनल सीडस कारपोरेश्न लि0
चन्डीगढ़

वियः आपकी निविदा दिनांक 15-03-14 के संर्दभ में Bhatinda प्लांट के लिये श्रमिक ठेकेदार की नियुक्ति हेतु दरें वर्ष 2014.15 तथा 2015.16

महोदय,

उपरोक्त निविदा सूचना के संबध् में आपके अधीनस्थ प्रक्रिया संयत्रों पर कार्य करने के लिये मेरी/हमारी दरें निम्नलिखित होगीं

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर प्रति कु0
1	नगरपालिका परिसर से बीज /सामान का लोडिंग परिवहन एंव अनलोडिंग ।	
2	एक ही परिसरमें स्थित विभिन्न गोदामो में बीज /सामान को शिफ्ट करना । क्र0 स0 3 व 4 पर लागु नहीं ।	
3	बीजों के मशीन द्वारा सीधे (Direct)ग्रेडिगं तथा पेकिंग करना रा सीड की बोरियों को मशीन में ग्रेडिंग के लिये डालना40 किलो साईज में पैक करना टैग,सील स्टैग लगाना खाली बोरों को उल्टा करके 50 50 के बन्डल बना कर रखना इत्यादि	
4	बीजों को मशीन द्वारा सीधे (Direct)ग्रेडिंग तथा पैकिंग करना इत्यादि । रा सीड को बोरियों की मशीन में ग्रेडिंग के लिये डालना 5 0/35 किलो साईज में पैक करके (Bulk packing) वाछिंत स्थान पर स्टैक लगाना ।	
5	अप्रत्यक्ष (Indirect) बल्क पैकिंग/ग्रेडिंग बीज से वाछित साईज की थैलियों में बीज उपचारित/अनुउपचारित कर थैलियों में भरना, टैग,सील,स्टैक लगाना, खाली बोरी के 50.50 बंडल बना कर रखना इत्यादि	
क	बीज की 3 किलो तक थैलिया मिनीकिट बनाना और आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना ।	
ख	बीज की 3 से उपर तथा 12 किलों तक थैलिया बनाना और थैलियो को आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना ।	
ग	बीज की 12 से उपर तथा 40 किलो तक थैलिया बनाना ओर थैलियों को अवश्यकतसनुसार भरना !	
5	बीज/सामान को ट्रक/ट्राली आदि में लोड करना	
6	बीज /सामान को ट्रक/ट्राली आदि में अनलोड करना	
7	खरीफ सीजन में उत्पादित बीजों को धूप मे उचित नमी तक सुखाई	

	करना (बीजों को गोदाम में सुखाने के स्थान तक लाना, ले जाना आदि शामिल है)	
8	बीजों को पुनः वैद्यीकरण करना बीजों को लाट साईज करना, वैद्यीकरण् की मोहर लगाना तथा पुनः स्टैक लगाना इत्यादि ।	
क	3किलो वजन की थैलिया	
ख	3 किलो से उपर तथा 12 तक किलो वजन की थैलिया	
ग	12 किलो से उपर तथा 40 किलो तक वजन की थैलिया	
9	बीजों को पुनः वैद्यीकरण (Revalidation) के अर्न्तगत नई थैलियां बनाना भरना,टैग लेबल,सिलाई,सील लगाना तथा थैलियों को बोरियों में भरना और पुनः स्टैक लगाना	
क	3किलो वजन की थैलिया	
ख	3किलो से उपर तथा 12 किलो तक वजन की थैलिया	
ग	12 किलो से उपर तथा 40 किलो तक वजन की थैलिया	
10	बीज लाट की स्टैक की तुड़ाई करना,लाट वाईज़ बीजों की छटांइ करना एंव उसी गोदाम में स्टैक लगाना (segrigation)	
11	खाली बोरियां/खाली कटओं/बारदाना की छंटाई गिनती 50.50. के बन्डल बनाना तथा स्टैक लगाना इत्यादि (दर प्रति बन्डल)	
12	समय समय पर गोदामों में बीजों का Fumigation करवाना, दवाई डालना, कवर को बीज पर डालना, मिटी कवर पर लगाना इत्यादि, Fumigation के बाद कवर को उठाना तथा मिटी इत्यादि साफ करना (रेट प्रति कु0)	

उपरोक्त दरें..वर्ा/वर्ाों के लिये दी गई हैं ।

डिमांड ड्राफ्ट ..नम्बर.......................................दिनांक......................

राशि रुपये.....................................ई एम डी हेतु संलग्न है ।

भवदीय

ई एम डी संलग्न है

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम पता

....
....